

सूचना का अधिकार
आपदा प्रबंध संस्थान सूचना पुस्तिका

आपदा प्रबंध संस्थान

(गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
ई-5, पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, भोपाल

अध्याय 1

प्रस्तावना

आपदा प्रबंध संस्थान सूचना अधिकार पुस्तिका का प्रकाशन, संस्थान के क्रियाकलापों, इसकी विशेषताओं तथा आपदा प्रबंधन विषय पर संस्थान द्वारा प्राप्त की गयी विशेषज्ञता एवं जानकारी को जनमानस एवं विशेषकर आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न संस्थाओं, संगठनों तक सुलभ रूप से पहुंचाने हेतु सूचना का अधिकार एक्ट 2005 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। पुस्तिका को एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इनमें से कुछ अध्याय संस्थान के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है। अतः इस तथ्य को इन अध्यायों में स्पष्ट कर दिया गया है। पुस्तिका में एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संस्थान से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है। इन सूचनाओं के विस्तृत विवरण प्राप्त करने हेतु संस्थान के लोक सूचना करने हेतु संस्थान के लोक सूचना से आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

इस पुस्तिका को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के नगद अथवा ड्राफ्ट भुगतान के पश्चात् सहायक सूचना अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

अध्याय 2

संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 संस्थान के उद्देश्य तथा मिशन

संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम तथा इनसे होने वाली क्षति को सीमित करने हेतु तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमताओं का विकास एवं प्रसार करना है। संस्थान प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं से संबंधित विषयों पर शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी संस्थानों के कर्मचारियों में आपदाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन की क्षमता विकसित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं सलाहकारिता प्रदान करता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है।

- प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं से संबंधित विषयों पर शासकीय एवं निजी संस्थानों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- जनसामान्य में प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से सामना करने की क्षमता के विकास हेतु जन-जागृति कार्यक्रमों का आयोजन।
- आपदाओं से संबंधित सूचनाओं का संकलन कर जानकारी का प्रलेखन एवं प्रचार – प्रसार।
- प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं से संबंधित विषयों पर परामर्श सेवा प्रदान करना।

2.2 संस्थान के गठन का संक्षिप्त इतिहास

आपदा प्रबंध संस्थान की स्थापना वर्ष 1984 में घटित भोपाल गैस विषिका के परिप्रेक्ष्य में आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में 19 नवम्बर 1987 को की गई। संस्थान को मध्य प्रदेश सोसायटी एक्ट 1973 के अन्तर्गत मार्च 1995 में पंजीकृत कराया गया। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री संस्थान की साधारण सभा (जनरल बाडी) के सभापति हैं तथा माननीय पर्यावरण मंत्र उपसभापति हैं। संस्थान के कार्यों के संचालन व मार्गदर्शन हेतु कार्यकारिणी समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन एवं सदस्य सचिव, कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान हैं।

2.3 संस्थान के कर्तव्यों / सेवाओं की सूची एवं उनका विवरण

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम तथा इसके प्रभावों को कम करने हेतु प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदा के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन संस्थान की प्रमुख गतिविधि है। इसके तहत संस्थान द्वारा स्थापना के समय से ही समस्त प्रासंगिक विषयों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस गतिविधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विभागों, खतरनाक उद्योगों, स्वयं सेवी संगठनों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

परामर्श सेवा

दक्ष तकनीक अमले की नियुक्ति, विशिष्ट वैज्ञानिक उपकरणों एवं सॉफ्टवेयर की उपलब्धि, संकाय सदस्यों का देश एवं विदेश विशिष्ट संस्थानों में प्रशिक्षण आदि से संस्थान द्वारा खतरनाक उद्योगों के सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित निम्न विषयों पर परामर्श सेवा दे की क्षमता विकसित की गयी है :-

1. औद्योगिक एवं प्राकृतिक आपदाओं हेतु आपातकालीन कार्य योजना ।
2. खतरनाक औद्योगिक क्षेत्रों का ऑन साइट एवं ऑफ साइट प्लान ।
3. औद्योगिक एवं प्राकृतिक आपदाओं के खतरों का विश्लेषण ।
4. हेर्जाड आईडेन्टीफिकेशन एण्ड रिस्क ऐसेसमेन्ट ।
5. खतरनाक उद्योगों का सेपटी आडिट ।

इस गतिविधि के अन्तर्गत देश एवं प्रदेश के खतरनाक उद्योगों, प्राकृतिक आपदाओं के रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु शासन के विभिन्न विभागों, आदि को परामर्श सेवा उपलब्ध कराया जाता है।

जनजागृति कार्यक्रम

जन-सामान्य को आपदाओं के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना विकासशील देश की प्रथम आवश्यकता है। यदि जनमानस आपदाओं से संबंधित पहलुओं की जानकारी रखता है तो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या औद्योगिक आपदा के समय वह उस बचाव के प्रथम प्राथमिकी उपायों का कारगर ढंग से अनुसरण कर होने वाली हानि को कम कर सकता है। इस गतिविधि के अन्तर्गत समाज के विभिन्न वर्गों जैसे विद्यार्थी, औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले जन सामान्य, ग्रामीण समुदाय, निति निर्धारक, स्वयंसेवी संगठनों आदि हेतु प्रदेश के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जन-जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सूचना एवं प्रलेख

सूचना तथा प्रलेख के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं से संबंधित पहलुओं पर उपलब्ध सूचनाओं का संकलन तथा आपदाओं की रोकथाम व सुचारु प्रबंधन हेतु तकनीकी दक्षता व जन चेतना के उत्थान हेतु समुचित उपयोगी सामग्री का विकास एवं विभिन्न गतिविधियों व माध्यमों से उक्त सामग्री का लोकहित हेतु वितरण प्रसारण किया जाता है। संस्थान ने अपनी वेबसाइट को अद्यतन कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों पर उपलब्ध नवीन सूचनाओं प्रलेखों दिशा निर्देशों संपर्क सूत्रों की सुगमता सुनिश्चित की है। मासिक रूप से प्रकाशित संस्थान के समाचार पत्रों के माध्यम से संस्थान की गतिविधियों व बहुउपयोगी सूचनाओं का प्रकाशन सतत् रूप से किया जा रहा है। 2.4 संस्थान का संगठनात्मक ढांचा

संस्थान का एक मात्र कार्यालय पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल में स्थित है। संस्थान का संरचनात्मक ढांचा निम्नानुसार है :-

सामान्य सभा

कार्यकारिणी परिषद

कार्यपालन संचालक

संचालक,02

उपसंचालक 02

संहा. संचालक 01

स्टोर शाखा

कम्प्यूटर शाखा

वित्त शाखा

पुस्तकालय शाखा

प्रशासनिक शाखा

2.5 संस्थान की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाये ।

संस्थान द्वारा मध्यप्रदेश के सभी आपदा संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक एवं ओद्योगिक आपदा प्रबंधन से संबंधित जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों को स्वयं सेवी संगठनों एवं पंचायती राज्य संगठन द्वारा उपयोगी एवं लाभप्रद बनाया जा सकता है।

2.6 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था : संबंधित नहीं।

2.7 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों की व्यवस्था : संबंधित नहीं।

2.8 कार्यालय का पता

:
आपदा प्रबंध संस्थान, पर्यावरण
परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, पो. बा. न. 563
भोपाल-462016 मध्यप्रदेश
टेलीफोन न. 91-755-2466715,
2461538
फैक्स: 91-755-2466653
E-mail: dmi@dmibhopal.nic.in
Web: www. dmibhopal.nic.in

2.9 कार्यालय खुलने का समय : प्रातः 10.30 बजे
कार्यालय बंद होने का समय : सायं 5.30 बजे

अध्याय 3

अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
पद का नाम अध्यक्ष – शक्तियां प्रशासकीय संवर्ग 1 के अधिकारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण वित्तीय एक लाख से पाँच लाख तक के प्रकरण
कर्तव्य – संस्थान के सम्पूर्ण प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण अन्य
पद का नाम – कार्यपालन संचालक
शक्तियां – प्रशासकीय संवर्ग 1 को छोड़कर शेष अमले की सेवाओं को शासित करने के सम्पूर्ण प्रशासकीय अधिकार एवं नियंत्रण वित्तीय एक लाख तक कर्तव्य कार्यकारिणी परिषद के निर्णयों का क्रियान्वयन एवं संस्थान का प्रबंधन

अध्याय 4

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निदेशिका और अभिलेख
अभिलेखों की सूची

अभिलेख का नाम : मेमोरेन्डम ऑफ एशोसिएसन एण्ड
रेगुलेशन अभिलेख का प्रकार : अभिलेख

संक्षिप्त परिचय : संस्थान मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के तहत एक पंजीकृत संस्था है। इस अभिलेख में सोसायटी के क्रियाकलापों तथा संस्थान के प्रबंधन हेतु गठित कार्यकारिणी परिषद के अधिकार एवं कर्तव्यों तथा अन्य मुख्य नियम प्रतिपादित है।

प्राप्ति शुल्क : शासन द्वारा निर्धारित शुल्क नगद अथवा
ड्राफ्ट द्वारा नियम की प्रति प्राप्त करने का
पता :

लोक सूचना अधिकारी, आपदा प्रबंध संस्थान, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा
कालोनी, पो. बा. न. 563, भोपाल-462016 मध्य प्रदेश

टेलीफोन न. 91-755-2466715, 2461538 फैक्स: 2466653

ईमेल: dmi@dmibhopal.nic.in

web: www.dmibhopal.nic.in

: आपदा प्रबंध संस्थान का प्रशासकीय एवं वित्तीय
अधिकार प्रत्यायोजन अभिलेख का प्रकार:
अनुदेश

संक्षिप्त परिचय : मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्युलेशन में दिये गये प्राधिकार के अंतर्गत कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विभिन्न प्राधिकारियों को इस अनुदेश में प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार प्रदत्त किया गया है।

प्राप्ति शुल्क : शासन द्वारा निर्धारित शुल्क नगद अथवा ड्राफ्ट द्वारा

नियम की प्रति प्राप्त करने का पता :

लोक सूचना अधिकारी, आपदा प्रबंध संस्थान, पर्यावरण परिसर,ई-5, अरेरा कालोनी, पो.
बा. न.563,भोपाल-462016 मध्यप्रदेश

टेलीफोन न. 91-755-2466715,2461538 फ़ैक्स: 2466653

ईमेल: dmi@dmibhopal.nic.in

web: www.dmibhopal.nic.in

अभिलेख का नाम : आपदा प्रबंध संस्थान वेतन नियम

अभिलेख का प्रकार: नियम

परिचय : मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्युलेशन में दिये गये प्राधिकार के अंतर्गत कार्यकारिणी परिषद् द्वारा यह नियम प्रतिपादित किया गया है।

प्राप्ति शुल्क : शासन द्वारा निर्धारित शुल्क नगद

अथवा ड्राफ्ट द्वारा नियम की प्रति प्राप्त करने का

पता :

लोक सूचना अधिकारी, आपदा प्रबंध संस्थान, पर्यावरण परिसर,ई-5, अरेरा कालोनी, पो.
बा. न.563,भोपाल-462016 मध्यप्रदेश

टेलीफोन 91-755-2466715,2461538 फ़ैक्स: 2466653

ईमेल: dmi@dmibhopal.nic.in

web: www.dmibhopal.nic.in

अध्याय 5

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

5.1 नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि के भागीदारी का प्रावधान संस्थान के क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु नीति का निर्धारण आपदा प्रबंधन विषय में किये जा रहे शोध, सूचनाओं के संकलन तथा इस विषय में प्रदेश तथा देश स्तर पर किए जा रह कार्यों एवं नवीन जानकारियों पर आधारित होता है। अतः प्रत्यक्ष रूप से संस्थान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अध्याय 6

संस्थान के नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों को प्रवर्गों के अनुसार विवरण

क्र.	प्रवर्ग	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक
1	तकनीकी दस्तावेज	1. संस्थान द्वारा विकसित सलाहकारिता रिपोर्ट्स 2. आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों पर पुस्तके एवं तकनीकी दस्तावेज 3. IDRM पर ट्रेनिंग	संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर	पुस्तकालय
2	नियम	1. मेमोरेण्डम आफ एशोसिएशन एण्ड रेगुलेशन 2. प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन 3. वेतन नियम	सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत शुल्क भुगतान पर	स्थापना शा
3	प्रशासनिक प्रतिवेदन	वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन		स्थापना शा

अध्याय 7 (मैनुअल-6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण संस्थान से संबद्ध कोई भी बोर्ड, परिषद, समिति अथवा निकाय नहीं है।

अध्याय 8 (मैनुअल-7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ
संस्थान का नाम : आपदा प्रबंध संस्थान, भोपाल
सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष	फैक्स	ईमेल	पता
कार्या.				नि.			
1	श्री ए.पी. साठे	कनिष्ठ लेखापाल	0755	2466715 2461538	2466653		आपदा प्रबंध संस्थान

लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष	फैक्स	ईमेल	पता
कार्या.				नि.			
1	श्री सुधीर द्विवेदी	उपसंचालक	0755	2466715 2461538	2466653	Sudheer@dmibhd	आपदा प्रबंध संस्थान

विभागीय अपीलीय अॉथोरिटी

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष	फैक्स	ईमेल	पता
कार्या.				नि.			
1	डॉ. राकेश दुबे	संचालक	0755	2466715 2461538 5292592	2466653	director@dmibhopal.nic	आपदा प्रबंध संस्थान

अध्याय 9 (मैनुअल-8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1 निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा निर्धारित नियम

1. किसी विषय पर सामान्य सभा/कार्यकारिणी परिषद अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राप्त अनुदेशों/आदेशों/निर्देशों का पालन किया जाता है।
2. किसी विषय पर संबंधित शाखा द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिस पर संचालक/कार्यपालन संचालक/अध्यक्ष महोदय/कार्यकारिणी परिषद/सामान्य सभा द्वारा मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन एण्ड रेगुलेशन द्वारा प्रदत्त प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। विषय विशेष पर आवश्यकतानुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभिमत लिया जाता है।

9.2 लिए गए निर्णय को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था संबंधित नहीं है।

9.3 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष महोदय

अध्याय 10 (मैनुअल-9)
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

स.क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष	फैक्स	ईमेल
				कार्यालय	आवास	
1.	श्री आशीष भार्गव, आई.ए.एस	कार्यपालन संचालक	0755	4293592	2466653	ed@dmibhopal.nic.in
2.	डॉ. राकेश दुबे	संचालक	0755	2466715 Ext 204	2466653	director@dmibhopal.nic.in
3.	श्री सुधीर द्विवेदी	उपसंचालक	0755	2466715 Ext 210	तदैव	sudheer@dmibhopal.nic.in
4.	डॉ. जार्ज.व्ही.जोसेफ	उपसंचालक	0755	2466715 Ext 206	तदैव	george@dmibhopal.nic.in
5.	श्री सौरभ कुमार	सहायक संचालक	0755			प्रतिनियुक्ति पर
6.	डॉ. असित पात्रा	सहायक संचालक	0755	2466715 Ext 212	तदैव	asit@dmibhopal.nic.in
7.	श्री दिलिप कुमार सिंह	सहायक संचालक	0755			प्रतिनियुक्ति पर
8.	श्रीमती प्रियंका सक्सेना	सहायक प्रोग्रामर	0755	2466715 Ext 211	तदैव	dmi@dmibhopal.nic.in
9.	श्री ए पी साठे	कनिष्ठ लेखाधिकारी	0755	2466715 Ext 225	तदैव	accounts@dmibhopal.nic.in
10.	श्रीमती निर्मल श्रीवास्तव	ग्रंथपाल	0755	2466715 Ext 240	तदैव	library@dmibhopal.nic.in
11.	श्री दीपक गोपाल बेहेरे	कनिष्ठ लेखापाल	0755	2466715 Ext 211	तदैव	accounts@dmibhopal.nic.in
12.	श्री प्रदीप चोरघड़े	संचालक के निज स	0755	2466715 Ext 247	तदैव	
13.	श्री शेरसिंह राठौर	उच्च श्रेणी लिपिक	0755	2466715 Ext 204	तदैव	hostel@dmibhopal.nic.in
14.	श्रीमती सुनीता द्विवेदी	उच्च श्रेणी लिपिक	0755	2466715 Ext 224	तदैव	accounts@dmibhopal.nic.in
15.	श्रीमती अलिअम्मा वर्गिस	उच्च श्रेणी लिपिक	0755	2466715 Ext 214	तदैव	establishment@dmibhopal.nic.in
16.	श्रीमती सीमा मिश्रा	उच्च श्रेणी लिपिक	0755	2466715 Ext 228	तदैव	-
						-
17.	श्री तापस आचार्य	कनिष्ठ लेखापाल	0755	2466715 Ext 222	तदैव	store@dmibhopal.nic.in
18.	श्री घनश्याम सूर्या	निम्न श्रेणी लिपिक	0755	2466715 Ext 223	तदैव	-

अध्याय 11 (मैनुअल-10)

निर्माण, विकास, तकनीक कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिए

12.1 लोक प्राधिकरण के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट की सूचना, जिसमें कि सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना हो, निम्न प्रारूप में दें : संबंधित नहीं है।

अन्य लोक प्राधिकरणों के लिए : वर्ष 2015-16

सं.क्र.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में)	कुल व्यय
1	मांग संख्या 04 मद 2217	520 लाख	520 लाख	द्वितीय किशत रु. 94.25 तृतीय किशत रु. 114.25 चतुर्थ किशत रु. 311.50	योजना के क्रियान्वयन में

अध्याय 12 (मैनुअल-11)

अनुदान / राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं ।

कार्यक्रम / योजना का नाम	आपदा प्रबंधन योजना
कार्यक्रम / योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा	निरंतर
कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्षों में)	प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं लक्ष्य : प्रशिक्षण कार्यक्रम 40, जनजागृति 20 आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या प्रशिक्षण
अनुदान / सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया पात्रता निश्चित करने के लिए मानदंड	विभागीय बजट प्रावधान के द्वारा संबंधित नहीं
दिये जाने वाले अनुदान / सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) अनुदान / सहायता के वितरण की प्रक्रिया	संबंधित नहीं संबंधित नहीं
आवेदन करने के लिए कहाँ / किससे संपर्क करें	संबंधित नहीं
आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)	संबंधित नहीं
आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) संलग्नों की सूची	संबंधित नहीं निरंक
संलग्नों का प्रारूप	निरंक
प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें	निरंक
उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इत्यादि)	निरंक

अध्याय 13 (मैनुअल-12)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्रतिकर्ताओं के संबंध में विवरण

14.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं

1.	कार्यक्रम का नाम	संबंधित नहीं
2.	प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र, अथवा प्राधिकार में से एक)	संबंधित नहीं
3.	लक्ष्य (विगत वर्ष में) संबंधित नहीं	संबंधित नहीं
4.	पात्रता	संबंधित नहीं
5.	पात्रता का आधार	संबंधित नहीं
6.	पूर्वापेक्षाएं	संबंधित नहीं
7.	प्राप्त करने की प्रक्रिया	संबंधित नहीं
8.	रियायत, अनुज्ञापत्र, अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा	संबंधित नहीं
9.	आवेदन शुल्क	संबंधित नहीं
10.	आवेदन पत्र का प्रारूप	संबंधित नहीं
11.	संलग्नों की सूची	संबंधित नहीं
12.	संलग्नों का प्रारूप	संबंधित नहीं
13.	प्राप्तकर्ताओं की सूची निम्न प्रारूप पर	संबंधित नहीं

अध्याय 14 (मैनुअल-13)

कृत्यों के नर्वहन के लिए स्थापित मानक / नियम

- अकार्यालयीन कार्य : संस्थान के सामान्य सभा तथा कार्यकारिणी परिषद द्वारा निर्देशित नियमों तथा अनुदेशों पर कार्यलयीन प्रशासकीय कार्य सम्पादित किये जाते हैं।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम : मध्य प्रदेश शासन के आपदा प्रबंधन कार्यों से जुड़े विभिन्न शासकीय विभागों के प्रशिक्षण आवश्यकता निर्धारण किया जाता है तथा तदनुसार प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने की योजना बनाई जाती है। वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय, भारत शासन द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी विशेष परियोजना अथवा किसी विशेष संगठन के अनुरोध पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
- जन-जागृति कार्यक्रम : मध्य प्रदेश में आपदा संभावित क्षेत्रों के आंकलन के उपरांत सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- परामर्श सेवा : संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर सलाहकारिता प्रदान की जाती है। जिसमें प्रमुख रूप से सेफ्टी ऑडिट, रिस्क अस्सेमेंट, हेजॉप स्टडी फेलिवर मूड इफेक्ट एनालिसिस, ऑन साईट आफ साईट आपदा प्रबंधन इत्यादि।

अध्याय 15 (मैनुअल-14)
इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएँ

- 16.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी
1. आपदा प्रबंध संस्थान सूचना अधिकार पुस्तिका
 2. जन –जागृत ब्रोशर
 3. प्रशासकीय वार्षिक प्रतिवेदन

अध्याय 15 (मैनुअल-14 द्व)
इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएँ

- 16.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी
1. आपदा प्रबंध संस्थान सूचना अधिकार पुस्तिका
 2. जन –जागृत ब्रोशर
 3. प्रशासकीय वार्षिक प्रतिवेदन

अध्याय 16 (मैनुअल-15)
सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

- 17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण
1. पुस्तकालय
 2. सूचना पटल
 3. अभिलेखों का निरीक्षण
 4. दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था
 5. संस्थान की बेवसाईट [www. dmibhopal.nic.in](http://www.dmibhopal.nic.in)

अध्याय 17 (मैनुअल-16)
अन्य उपयोगी जानकारियाँ

- 18.1 संस्थान से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर
1. संस्थान द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनजाग्रति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा इस विषय पर परामर्श सेवा उपलब्ध कराया जाता है।
 2. संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन विषय पर डिप्लोमा कोर्स आयोजन।
- 18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में उल्लेखित सूचनाओं को छोड़कर संस्थान द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अनुरूप धारा 8 (1) वैसी सभी सूचना उपलब्ध कराई जायेगी जो कि जन सामान्य के निहितार्थ हो।
सूचना प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी के नाम से रु. 10/- नगद या ड्राफ्ट के साथ जो कि आपदा प्रबंध संस्थान के नाम से हो। आवेदन पत्र जो प्रारूप संलग्न कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त किया जा सकता है।
- 18.3 संस्थान द्वारा जनता को दिए जाने वाला प्रशिक्षण
आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण प्रदाय करना संस्थान की मुख्य गतिविधि है जो कि आपदा प्रबंधन से जुड़े शासकीय विभागों तथा अन्य समूहों हेतु लक्षित है। जनसामान्य हेतु संस्थान द्वारा समय-समय पर मध्यप्रदेश के विभिन्न आपदा संभावित क्षेत्रों में जनजाग्रति कार्यक्रमों का आयोजन संस्थान द्वारा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद प्रमाण-पत्र दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है।

18.5 संस्थान में होने वाले पंजीयन के संबंध में संस्थान में किसी भी प्रकार का पंजीयन नहीं होता है।

18.6 संस्थान द्वारा टेक्स लेने के संबंध में संबंधित नहीं है।

18.7 लोक प्राधिकर्ता द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के संबंध में संबंधित नहीं है। संस्थान द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर सूचना प्रेषित कर दी जायेगी अथवा सूचना नहीं देने के कारणों को प्रेषित किया जायेगा। 30 दिनों के अन्दर संस्थान से उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अथवा उत्तर से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में अपीलीय अधिकारी के समक्ष पावती नम्बर के संदर्भ के साथ निशुल्क अपील किया जा सकता है।

आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी,
आपदा प्रबंध संस्थान,भोपाल

विषय :-

अद्योहस्ताक्षरकर्ता को संस्थान से संबंधित निम्नांकित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें

- 1.
- 2.
- 3.

इस हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शुल्क रु.....नकद अथवा ड्राफ्ट () संलग्न है।

नाम :

पता :

टेलीफोन :